न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 96/2012 (जीसीएमएस 2012/00011)

1. श्याम सुन्दर दत्तक पुत्र रिछपाल जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती रूडी देवी पत्नी रिछपाल जाति मीणा, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार महोदय चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर, द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 20.07.2010 को अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर के समक्ष अपीलार्थी के दत्तक पिता स्व. श्री रिछपाल पुत्र स्व. बिरदा जाति मीणा के हिस्सा 1/3 की आराजी खसरा नम्बर 2835, 2836, 2840, 4651, 4652, 4653, 4659, 4660, 4653/8593 कुल किता 9 का कुल रकबा 2.77 हैक्टयर का फौती नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में अपीलार्थी के उक्त दत्तक पिता द्वारा अपीलार्थी के हित में की गई निष्पादित व नोटरी पब्लिक से अनुप्रमाणित वसीयत दिनांक 08.11.2007 के आधार पर खोले जाने हेतु आवेदन किया गया, जिसको उक्त मान्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) एल.आर.एक्ट 1956 दर्ज किया जाकर उसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाया गया। जिनके द्वारा अपीलार्थी के हित की उक्त वसीयत का फर्जी होना आरोपित कर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने का विरोध किया गया। उभयपक्षों की सुनवाई की जाकर मान्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2012 को उक्त मान्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण निर्णित किया गया कि वसीयत के सम्बन्ध में समक्ष न्यायालय से प्रोबेट जारी करवाए एवं प्रकरण उक्त प्रकार इसी स्तर पर निस्तारित फरमा दिया गया जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं सबूतों के विपरीत व प्रचलित न्याय के सिद्धान्तों व विधि के विरूद्ध है, जिसमें मान्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना व विधि विरूद्ध अभिमत बनाया गया है। उन्होने यह भी कथन किया है कि मामले में वसीयत का प्रोबेट आवश्यक है ही नहीं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रोबेट करवाने का निर्णय पारित कर दिया गया जो बैजा गलत व विधि विरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वसीयत के बारे में नामान्तरकरण के लिए आवश्यक सम्पूर्ण जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही की जानी थी व की जानी चाहिए थी तथा वसीयत के बारे में अपना अभिमत बनाना चाहिए था, मात्र एक पक्ष द्वारा उस पर आरोप लगाने से उसकी वैधता व सत्यता पर कोई असर नहीं पड़ता है, यदि कोई पक्ष वसीयत के विरूद्ध कोई आरोप लगाता है तो उसकी जांच कर लेनी जानी थी एवं उस पर अपना अभिमत बना निर्णय पारित करना चाहिए था जो ऐसा नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय अपीलाधीन विधि विपरित व मनमाना है। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के वसीयत के बारे में कथन भी झूंठे व विरोधाभाषी थे तथा अपीलार्थी की उक्त वसीयत पूर्णतया साबित थी तथा मृतक रिछपाल व प्रत्यर्थी संख्या 1 का दत्तक पुत्र अपीलार्थी का होना भी पूर्णतया साबित था तथा यह भी पूर्णतया साबित था कि अपीलार्थी जो कि स्व. श्री रिछपाल व प्रत्यर्थी संख्या 1 का दत्तक पुत्र है द्वारा स्व. श्री रिछपाल की खुब सेवा श्रुषेवा की गई थी, जिससे ही प्रसन्न होकर ही स्व. श्री रिछपाल द्वारा अपीलार्थी के हित में उक्त वसीयत सही की थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आश्चर्यजनक तौर पर निर्णय अपीलाधीन पारित कर दिया जो बिल्कुल मनमाना व विधि विरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी का नाम भी स्व. श्री रिछपाल व प्रत्यर्थियों संख्या 1 के राशन कार्ड में बाकायदा दर्ज हैं तथा रहा हैं, जिसका पंचायती रिकार्ड भी है, तथा असल राशन कार्ड प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उसके कब्जे में होते हुए भी प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि वसीयत व अपीलार्थी के दत्तकरण के बारे में अपीलार्थी ने वसीयती गवाहान के शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किये थे, जिनसे पूर्णतया यह साबित है कि अपीलार्थी का स्व. रिछपाल व प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बचपन में ही दत्तक ग्रहण कर लिया गया था तथा बतौर दत्तक पुत्र अपीलार्थी के हित के हित की उक्त वसीयत बिल्कुल सत्य हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो गलत एवं अवैध व मनमाना है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मान्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में आवश्यक जांच नहीं की गई तथा वसीयत के बारे में मामला बावजूद सक्षमता के अनिर्णित छोड़ दिया गया जो गलत व विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि वसीयत करने में अपीलार्थी का उक्त दत्तक पिता सक्षम था तथा उक्त भूमियां उनकी स्व–अर्जित थी, जिस बारे में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति निराधार ही की गई थी कि उक्त सम्पत्ति पैतृक हैं, जिस बारे में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा कोई सबूत भी पेश नहीं किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु भी अनिर्णित छोड़ दिया गया, जिस कारण भी अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.04.2012 निरस्त जाकर अपीलार्थी के हित में उक्त भूमियों का उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्णतया समस्त तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2010 पेश किया गया था क्योंकि विवादित आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति स्व. रिछपाल पुत्र बिरदा का 1/3 हिस्सा है, जिस पर रेस्पोडेन्ट के पति अपने जीवनपर्यान्त काबिज होकर उपयोग–उपभोग में रहा था उसकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडन्ट संख्या 1 ही बतौर एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति रिछपाल के कोई जाईन्दा पुत्र या पुत्री सन्तान नही थी, ना ही उन्होने अपने जीवनकाल में कभी भी अपने भाई रामू के पुत्र श्यामसुन्दर को कभी भी गोद नही लिया था, ना ही श्यामसुन्दर उसके पास रहता था, ना ही उसकी पढाई लिखाई स्व. रिछपाल ने करवाई थी बल्कि अपीलान्ट श्यामसुन्दर का पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा विवाद आदि उसके पिता रामू ने ही किया था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति स्व. रिछपाल ने कभी कोई वसीयत अपीलान्ट श्यामसुन्दर के हक नही की है बल्कि अपीलान्ट ने जो वसीयत बनाई है वह फर्जी है तथा अपीलान्ट ने जो अपने शैक्षणिक दस्तावेजातों में अपने पिता रामू के स्थान पर मृतक रिछपाल का नाम जुडवाये है, वो अपने पिता रामू से मिलकर बदनियतिवश रेस्पोडेन्ट व रेस्पोडेन्ट के पति स्व. रिछपाल की भूमि को शुरू से ही हड़प करने की मंशा से तैयार किये गये है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात पर एक मात्र मालिकाना हक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही है जिसमें श्यामसुन्दर का कोई–लेना देना नही है, श्यामसुन्दर ने अपने पिता रामू व गवाह फूलचन्द मीना व अर्जुन सैनी से

मिलीभगत कर तथाकथित फर्जी वसीयत मृतक रिछपाल की पुश्तैनी भूमि को हड़प करने के लिये बनाकर मृतक रिछपाल की मृत्यु के उपरान्त उसकी फर्जी अंगूठा निशानी लगा कर फर्जी व फौरी कार्यवाही की है जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट श्यामसुन्दर वगै. के खिलाफ पुलिस थाना गोविन्दगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227/20 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 168, 471, 120बी आई.पी.सी. में दर्ज करवाई गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज व स्वीकार करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रिछपाल द्वारा एक वसीयतनामा दिनांक 08.07.2007 को अपीलान्ट के हक में निष्पादित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य या अवैध करार दिया गया हो। जब उक्त वसीयत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत की सत्यता के बारे में गवाहान से व अन्य से बयानात इत्यादि लेकर एवं भूमि पैतृक या स्वअर्जित है इत्यादि बाबत जॉच कर प्रकरण का विधिपूर्वक निस्तारण करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किये बिना ही वसीयत को साक्षम न्यायालय से प्रोबेट जारी करवाने के आदेश देकर निस्तारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांकक 09.04.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।